न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :23/2019
निर्णय दिनांक : ....31/8/21....

1. सीताराम पुत्र स्व. रामगोपाल
2. नानूराम पुत्र स्व.रामगोपाल
3. रामलाल पुत्र स्व.रामगोपाल
   समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम ग्वारजाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. धन्नी पत्नि स्व. रामगोपाल (फौत)

4/1 शान्ति देवी पुत्री धन्नी पत्नि भूराराम
4/2 भूली देवी पुत्री धन्नी पत्नि जयराम
समस्त जाति जाट निवासीयान ढाणी दौसावाली, ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4/3 कमली पुत्री धन्नी पत्नि भगवान सहाय, जाति जाट निवासी ग्राम बदनपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4/4 कैलाशी देवी पुत्री धन्नी पत्नि जगदीश,
4/5 जमना देवी पुत्री धन्नी पत्नि प्रहलाद
समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम बासडी जोगियान, नोहरावाली ढाणी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
2. ग्यारसी पुत्री जयराम।
3. सरजू पुत्री जयराम।
4. सुशीला पुत्री जयराम।
5. जुगलकिशोर पुत्र जयराम
   समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम ग्वारजाटान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत की धारा 136 के भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम ग्वारजाटान, तहसील सांगानेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 288 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण के पिता रामगोपाल पुत्र लाला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के दिन दर्ज थे। तत्कालीन खतौनी बंदोबस्त सवत् 2004–2013 मौजा गंवारजाटान तत्कालीन तह0 चाकसू (हाल तह0 सांगानेर) के खसरा नम्बर 287, 288 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार रामगोपाल वल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

गल राहिन, जयराम पुत्र जगन्नाथ मुर्तहीन अहकाम जाट साकिन देह थे। प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की भूमि में मुर्तहीन जयराम पुत्र जगन्नाथ का इन्द्राज विगत 60-65 वर्षो से गलत रूप से चले आने के कारण उक्त मुर्तहीन जयराम की फौत पर गलत रूप से विरासत का नामातंकरण जयराम के वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज हो गया जबकि मुर्तहीन के नाम विरासत नामान्तकरण खुलने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं हैं। दौराने भू प्रबंध आराजी खसरा नं 287 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नं 388 रकबा 0.71 हैक्टेयर खसरा नं 288 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नं 393 रकबा 0.44 हैक्टेयर बने हैं। प्रार्थीगण के पिता खातेदार रामगोपाल पुत्र लाला का स्वर्गवास हो जाने के कारण जरिये विरासत प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। विवादित भूमि बाबत तत्कालीन जयपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने से पूर्व 20 वर्षो पश्चात रहन मुक्त हो गई। इस प्रकार राहिन मुर्तहीन का इन्द्राज कानूनन कोई महत्व नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा भी रहन भूमि से रहन का इन्द्राज हटाने बाबत दिशा निर्देश जारी किये हैं। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के कारकुनान द्वारा उक्त इन्द्राज को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के प्रभाव के कारण नहीं हटा सकें।प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त कारण से उक्त आराजीयात खसरा नं खसरा नं 287 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा हाल ख़सरा नं 388 रकबा 0.71 हैक्टेयर खसरा नं 288 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नं 393 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.15 हैक्टेयर में अंकित रहन का इन्द्राज हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 13.5.2019 को अप्रार्थी सं0 1 का तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुआ। दिनांक 20.08.2019 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी संख्या 4 धन्नी पत्नि रामगोपाल की मृत्यु हो चुकी है उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावें। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 4 धन्नी पत्नि रामगोपाल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 27.8. 2019 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा संशोधित उनवान एवं अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए.ड़ी. नोटिस पेश किये गये। दिनांक 14.10.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की ओर से श्री राकेश कुमार डुक्या अधिवक्ता ने अण्डरटेंकिग दी। दिनांक 10.12.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की ओर से श्री हरलाल सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 29.01. 2020 को प्रकरण संख्या 22/2019 एवं प्रकरण संख्या 2[illegible] का सम्मिलित में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का [illegible] 17.08.2021 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना [illegible] किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये। दिनांक 24.08.2021 को अप्रार्थीगण के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुए उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु निवेदन किया गया बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र की प्रति पेश एवं पैरोकार सरकार ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र को विधि अनुसार स्थापित नियम एवं न्याय प्रक्रिया की पालना करते हुए दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया कि खतौनी बंदोबस्त मौजा ग्वारजाटान संवत 2004 से 2023 के अनुसार खसरा न0 287 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा न0 288 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा में रामगोपाल वल्द लाला राहिन जयराम वल्द जगन्नाथ अहकाम जाति जाट मुर्तहीन लिखा है, मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त भूमि के नये खसरा न0 388 रकबा 0.71 हैक्टेयर , खसरा न0 393 रकबा 0.44 हैक्टेयर बने है। जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में उक्त खसरा न0 388रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा न0 393 रकबा 0.44 हैक्टेयर में भी सीताराम, नानूराम, रामलालपि. रामगोपाल, धन्नी बेवा रामगोपाल राहिन ग्यारसी पत्नि जयराम, सरजू, सुशीला पुत्रीया जयराम, जुगल किशोर पि.मु. जयराम कौम जाट सा.देह खातेदार अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्रार्थीगण के पिता तत्पश्चात प्रार्थीगण के नाम दर्ज रही है एवं अप्रार्थीगण के पिता तत्पश्चात अप्रार्थीगण बतौर मूर्तहीन रिकार्ड में दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा जारी रहन भूमि से रहन का इन्द्राज हटाने बाबत् दिशा निर्देशों के साथ एक परिपत्र जारी किया गया है कि ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जाकर दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए तलब किया जाकर इन्द्राज को हटाने के संबंध में निर्णय किये गये है।

: उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजी साक्ष्य एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम ग्वारजाटान तह0 सांगानेर में स्थित खसरा न0 388रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा न0 393 रकबा 0.44 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में राहिन मुर्तहीन का अंकन निरस्त कर दुरूस्त किया जाता है तथा राहिन ग्यारसी पत्नि जयराम, सरजू, सुशीला पुत्रीया जयराम, जुगल किशोर पि.मु. जयराम कौम जाट सा.देह खातेदार को हटाये जाने के आदेश दिये जाते है, उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे एवं उक्त [illegible] की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। [illegible] होकर दर्ज न0 से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:43:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31/8/21 को खुले न्यायालय में [illegible]नाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(राजेश कुमार नायक)
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय,(सांगानेर)
जयपुर